# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

## भू–वापसी अपील वाद सं0 – 15/2021

## पालेश्वर महतो उर्फ बालेश्वर महतो वगै० अमरचन्द करमाली वगै०

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| **05-04-2022** | इस वाद की कार्रवाई अपीलार्थी पलेश्वर महतो उर्फ बालेश्वर महतो पिता स्व0 पृथ्वी महतो वो संतोष महतो पिता स्व0 नारायण महतो दोनो का साकिन ग्राम जांगी थाना गोला जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी 24/2012–13 अमरचन्द करमाली वो0 बनाम पलेश्वर महतो एवं अन्य में दिनांक 11.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने पर प्रारम्भ की गई। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया एवं द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत किया गया। प्रश्नगत भूमि मौजा जांगी थाना सं०–11 थाना–गोला के खाता सं०–39 प्लॉट सं०–1208 रकबा–1.28 एकड़ मध्ये रकबा–0.33 एकड़ भूमि से संबंधित है।<br><br>उभय पक्षों विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया।<br><br>उभय पक्षों विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा जांगी थाना सं०–11 थाना–गोला के खाता सं०–39 प्लॉट सं०–1208 रकबा–1.28 एकड़ भूमि सर्वे खतियान मे नन्दलाल करमाली के नाम से दर्ज है। है। प्रश्नगत भूमि मौजा जांगी थाना सं०–11 थाना–गोला के खाता सं०–39 प्लॉट सं०–1208 रकबा–1.28 एकड़ मध्ये रकबा–0.33 एकड़ की प्रविष्टि पंजी II में पृथ्वी महतो पिता–फेकु महतो के नाम से दर्ज है, जो वगैर किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश दर्ज की गयी है। है। अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है कि मौजा जांगी थाना सं०–11 थाना–गोला के खाता सं०–39 प्लॉट सं०–1208 रकबा–0.33 एकड़ भूमि खतियानी रैयत के वारिशान बढ़न करमाली एवं टुरू करमाली के द्वारा निबंधित | |

82

दस्तावेज के पक्ष मे बाजीदावा का निष्पादन किया गया। परन्तु उक्त बाजीदावा का निष्पादन दिनांक–11.03.1960 एवं 07.05.1960 को उपायुक्त की अनुमति लिये वगैर किया गया है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रतिकुल है। अतः इस प्रकार किया गया बाजीदावा का निष्पादन को वैध नहीं माना जा सकता है।

अंचल अधिकारी, गोला के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि ग्राम–जांगी थाना सं०–11 थाना–गोला के खाता सं०–39 प्लॉट सं०–1208 रकबा–1.28 एकड़ मध्ये रकबा–0.33 एकड़ भूमि सर्वे खतियान मे नन्दलाल करमाली के नाम से रैयती दर्ज है। पंजी II के पेज संख्या–20/4 पर पृथ्वी महतो पिता–फेकु महतो ग्राम–जांगी के खाता सं०–39 प्लॉट सं०–1208 रकबा–0.33 एकड़ का जमाबंदी कायम है। पंजी II में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। विवादित भूमि गैर आदिवासी रैयत का राष्ट्रीय बाजीदावा दस्तावेज सं०–3676, दिनांक–07.05.1960 एवं 2026, दिनांक–11.03.1960 द्वारा हस्तांतरित की गई है। विवादित भूमि का वर्तमान स्वरूप खपडपोस मकान एवं पक्का कुंआ है। आवेदक 5–6 वर्षो से बेदखल है। उपरोक्त भूमि आदिवासी खाते की है। अतः भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा ही प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर जबरन कब्जा किये हुए है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखने की कृपा की जाय।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) के प्रावधानों के तहत् आवेदित भूमि के बावत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी 24/2012–13 अमरचन्द करमाली वो0 बनाम पलेश्वर महतो एवं अन्य में दिनांक 11.02.2021 को पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को भेजे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.07.09 12:14:30 +05:30
Location: 192.168.0.48

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
05.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
05.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।